(विकास बहल, जे.)

समक्ष विकास बहल जे.

कोमल और एक और-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

सीआरडब्ल्यूपी No.7964/2021

04 अक्टूबर, 2021

भारत का संविधान, **1950-** अनुच्छेद **226, 227** और **21**-पूर्व पति/पत्नी से तलाक विचाराधीनता रहने के दौरान जीवन का संरक्षण और "जोड़े में रहने" की स्वतंत्रता-"लिव इन रिलेशनशिप" में रहने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता-याचिकाकर्ता संख्या **1** की तलाक याचिका अभी भी लंबित है-संरक्षण की मांग की गई-आयोजित, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान की मूल विशेषता है-न्यायालय आवश्यक निर्देश पारित कर सकता है यदि यह संतुष्ट हो कि कुछ रिश्तेदार/व्यक्ति याचिकाकर्ताओं के बीच संबंधों से नाखुश होने से उनके जीवन और स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकते हैं-निपटाया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया कि जिस पहलू पर हम विचार कर रहे हैं और जिस पर विचार कर रहे हैं, वह अपीलार्थियों के जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे के संबंध में है जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किसी भी पक्ष के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए, हालांकि, इस तरह की शिकायत के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए और कानून में अनुमत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथों में लेने की अनुमति या अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए, उक्त पहलू को ध्यान में रखते हुए, हम यह देखते हुए वर्तमान अपील का निपटारा करते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मालेर कोटला, अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दिनांकित अभ्यावेदन (अनुलग्नक-5) को ध्यान में रखेंगे और यदि उसमें कुछ सार पाया जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार उचित कदम उठाएंगे कि निजी प्रतिवादी के हाथों अपीलार्थियों का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में न पड़े।इस निर्देश का अर्थ किसी भी तरह से आधिकारिक प्रतिवादी को

अपीलार्थियों के खिलाफ आगे बढ़ने से रोकने के लिए नहीं किया जाएगा, यदि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है।कानून अपना काम करेगा और यदि कानून में और उसके अनुसार आवश्यकता हो तो अपीलार्थियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों/जांच एजेंसी के लिए खुला रहेगा।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि खण्ड पीठ जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के पहलू पर विचार करने के बाद सर्वोपरि विचार किया और इस मुद्दे पर विचार किए बिना कि पक्षकारों के बीच संबंध कानूनी थे या नहीं, इस तथ्य के बावजूद कि पक्षकारों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की।

(पैरा 12)

ने आगे कहा कि यह बिना कहे चला जाता है कि जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से, एक वयस्क, को किसी भी दर पर अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है, जब भी यह न्यायालय, प्रथम दृष्टया, संतुष्ट होता है कि कुछ रिश्तेदारों/व्यक्तियों के याचिकाकर्ताओं के बीच संबंधों से नाखुश होने के कारण याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता को नुकसान हो सकता है, और ऐसी परिस्थितियों में, अदालतों को उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश पारित करने की आवश्यकता होती है।

(पैरा 13)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गोपाल सोनी,

मनीष डडवाल, ए.ए.जी हरियाणा।

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

विकास बहल**, जे. (ORAL)**

(1) यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक आपराधिक रिट याचिका है जिसमें याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आधिकारिक प्रतिवादी परमादेश देने के लिए मांग की गई है।

(2) याचिकाकर्ताओं को वयस्क बताया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 की जन्म तिथि 23.11.2002 है और याचिकाकर्ता संख्या 2 की जन्म तिथि 01.01.1996 है। याचिकाकर्ताओं को "लिव इन रिश्ता" में रहना बताया गया है।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा है कि इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने आदेश दिनांक 18.05.2021 को सी. आर. डब्ल्यू. पी.-4521-2021 का शीर्षक प्रदीप सिंह और दूसरा बनाम राज्य में के द्वारा एक ऐसे मामले में संरक्षण प्रदान किया है जहां याचिकाकर्ता "लिव इन रिलेशनशिप" में रह रहे थे।

(4) विद्वान वकील ने आगे इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांकित 03.09.2021 एक आदेश पर भरोसा किया है, जो सी. आर. डब्ल्यू. पी. **7874-2021** शीर्षक 'परमजीत कौर' और दूसरा बनाम पंजाब राज्य 'और अन्य में पारित किया गया है जिसके अनुसार हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी, फिर भी इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान किया था।

(5) विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने दिनांकित 16.08.2001 एक आवेदन (अनुलग्नक पी-5) प्रतिवादी Nos.2 3 दिया है और वे संतुष्ट होंगे यदि प्रतिवादी संख्या 3 को उक्त अभ्यावेदन पर गौर करने और याचिकाकर्ताओं को खतरे की धारणा पर विचार करने के बाद, कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाये।

(6) केवल प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक प्रस्ताव की सूचना।

(7) अग्रिम सूचना पर, श्री मनीष डडवाल, ए. एएजी हरियाणा ने प्रतिवादी Nos.1 की ओर से 3 को नोटिस स्वीकार किया और इस न्यायालय द्वारा पूछे गए एक विशिष्ट प्रश्न पर, उन्होंने कहा है कि यदि प्रतिवादी संख्या 3 को खतरे की धारणा के पहलू पर दिनांकित 16.08.2021 (अनुलग्नक पी-5) के अभ्यावेदन पर गौर करने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

(8) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

(9) प्रदीप सिंह (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

> "भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार उसमें निहित है और इसे एक बुनियादी विशेषता के रूप में माना जाता है।उक्त अधिकार में किसी व्यक्ति का अपनी पसंद और इच्छा के अनुसार अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करने का अधिकार शामिल है और ऐसे उद्देश्य के लिए, वह अपनी पसंद का भागीदार चुनने का हकदार है।व्यक्ति को विवाह द्वारा से साथी के साथ संबंध को औपचारिक बनाने या लिव इन रिलेशनशिप के गैर-औपचारिक दृष्टिकोण को अपनाने का भी अधिकार है।लिव-इन-रिलेशनशिप की अवधारणा पश्चिमी देशों से हमारे समाज में आई है और शुरू में, महानगरीय शहरों में स्वीकृति मिली, शायद इसलिए

कि व्यक्तियों ने महसूस किया कि विवाह द्वारा से रिश्ते का औपचारिकरण पूरी तरह से पूरा होने के लिए आवश्यक नहीं था।इस अवधारणा के विकास में शिक्षा ने एक बड़ी भूमिका निभाई।धीरे-धीरे यह अवधारणा छोटे शहरों और गाँवों में भी फैल गई है जैसा कि इस याचिका से स्पष्ट है।इससे पता चलता है कि लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए सामाजिक स्वीकृति बढ़ रही है।कानून में, इस तरह का संबंध निषिद्ध नहीं है और न ही यह किसी अपराध को करने के बराबर है और इस प्रकार, मेरे विचार में ऐसे व्यक्ति किसी भी रूप में कानूनों के समान संरक्षण के हकदार हैं जैसे की दूसरे देश के अन्य नागरिक।कानून यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता बहुमूल्य है और व्यक्तिगत विचारों की परवाह किए बिना इसकी रक्षा की जानी चाहिए।

आइए हम इस मुद्दे की दूसरे दृष्टिकोण से जांच करें।संवैधानिक न्यायालय उन जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिन्होंने अपने-अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की है।वे अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों से जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा चाहते हैं, जो गठबंधन को अस्वीकार करते हैं।एक समान स्थिति वहाँ से निकलती है जहाँ दंपति लिव-इन-रिलेशनशिप में आ गए हैं।अंतर केवल इतना है कि संबंध को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है।क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा?मेरी सुविचारित राय में, ऐसा नहीं होगा।दंपति को दोनों स्थितियों में रिश्तेदारों से अपनी सुरक्षा का डर है न कि समाज से।अतः वे उसी राहत के हकदार हैं।कानून के शासन से शासित देश में किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथों में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

तदनुसार, याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांकित 9.5.2021 (अनुलग्नक पी3) के अभ्यावेदन पर विचार करने और यदि आवश्यक पाया जाए तो उचित सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश के साथ किया जाता है।यह सुनिश्चित किया जाएगा कि याचिकाकर्ताओं के जीवन या स्वतंत्रता को कोई नुकसान न पहुंचे।"

(10) इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि भले ही याचिकाकर्ता "लिव इन रिलेशनशिप" में रह रहे हों, वे जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के हकदार हैं।याचिकाकर्ता संख्या 1 की तलाक याचिका के पहलू के संबंध में, वह अभी भी लंबित है, एल. पी. ए.-769-2021 शीर्षक इशरत बानो और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में पारित इस न्यायालय की खण्ड पीठ के दिनांक 03.09.2021 के फैसले का उल्लेख करना प्रासंगिक है। इशरत बानो (याचिकाकर्ता) ने आपराधिक रिट याचिका नं.7903-2021 का जिसे इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था।विद्वान

एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 01.09.2021 द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> "इस रिट याचिका में आधिकारिक उत्तरदाता को निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना यह है की वह प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के हाथों याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे
>
> याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने विवाह किया है और संख्या 5 से 9 के हाथों उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे की आशंका है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इससे पहले, याचिकाकर्ता संख्या 2 का विवाह आलिया कोमल हसन से हुआ था और असलम खान-याचिकाकर्ता नंबर 2- द्वारा खुद किए गए 3 तलाक विलेखों के माध्यम से शादी को दिनांकित 26.07.2018, 27.08.2018 और 27.09.2018 तलाक दस्तावेजों के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।
>
> याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए इन 3 तलाक विलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि ये याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा तैयार किए गए एकतरफा दस्तावेज हैं और शहनाज अली और फिरोज खान नामक दो सामान्य गवाह हैं।याचिकाकर्ता नंबर 2 की पहली पत्नी आलिया हसन ने इस तरह के तलाक के लिए अपनी सहमति नहीं दी है।अन्यथा भी, इन तलाक विलेखों के अवलोकन से आगे पता चलता है कि याचिकाकर्ता नंबर 2 की शादी आलिया हसन के साथ 06.07.2013 को की गई थी और उक्त विवाह में से दो बेटियां सोहलिया असलम और अमीमा असलम पैदा हुईं, जो जीवित हैं और याचिकाकर्ता नंबर 2 की पहली पत्नी यानी आलिया हसन के साथ रह रही हैं।
>
> याचिकाकर्ताओं के वकील ने आगे तर्क दिया है कि इस एकतरफा प्रथागत तलाक के बाद, याचिकाकर्ता संख्या 2 ने अब 20.08.2021 को याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ शादी कर ली है। समन्वय पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अदालत को सूचित करें कि याचिकाकर्ता संख्या 2 अपनी पूर्व पत्नी को कितनी राशि देने के लिए तैयार है ताकि वह अपना भरण-पोषण कर सके।
>
> 2 तारीखें लेने के बावजूद ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।
>
> यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि अदालत नाबालिग लड़कियों की कानूनी अभिभावक होने के नाते, जो अपनी मां-आलिया हसन की

दया पर रह रही हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 2 न केवल अपनी पहली पत्नी आलिया हसन को तलाक देने का दावा कर रहा है, बल्कि उसने साढ़े चार साल और दो साल की अपनी 2 नाबालिग बेटियों की परवरिश और देखभाल करने से भी इनकार कर दिया है।

इसके बावजूद, वर्तमान याचिका और कुछ नहीं बल्कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के कामुक और व्यभिचारी जीवन के संबंध में याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ इस न्यायालय की मुहर लगाने की एक चाल है और न्यायालय इसमें पक्षकार नहीं हो सकता है।याचिकाकर्ता संख्या 2 की दलीलें कि उसे मुस्लिम कानून के तहत दूसरी शादी करने का अधिकार है, गलत धारणा है क्योंकि यह न्यायालय विद्या सम्बन्धी दृष्टिकोण लेने के बजाय 2 नाबालिग लड़कियों के कल्याण के बारे में अधिक चिंतित है क्योंकि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता नंबर 2 जानबूझकर अपनी पहली पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों का पालन-पोषण करने में विफल रहा है।

तदनुसार, वर्तमान याचिका को आलिया हसन को भुगतान किए जाने वाले रुपये 1,00,000-लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।"

(11) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि चूंकि न्यायालय ने मुख्य रूप से कहा था कि तलाक के दस्तावेज एकतरफा दस्तावेज थे, इसलिए प्रथम दृष्टया से ऐसा प्रतीत होता है कि तलाक वैध नहीं था।इस मामले को अपील में लिया गया था और इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने आदेश दिनांक 03.09.2021 जो एल. पी. ए.-769-2021 शीर्षक इशरत बानो और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में पारित किया है जो इस प्रकार है:-

"हम जिस पहलू पर विचार कर रहे हैं, वह अपीलार्थियों के जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे के संबंध में है जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि किसी भी पक्ष के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए, हालांकि, इस तरह की शिकायत के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए और कानून में अनुमत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथों में लेने की अनुमति या अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए, उक्त पहलू

को ध्यान में रखते हुए, हम यह देखते हुए वर्तमान अपील का निपटारा करते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मालेर कोटला, अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दिनांकित अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी-5) को ध्यान में रखेंगे और यदि उसमें कुछ सार पाया जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार उचित कदम उठाएंगे कि निजी प्रतिवादी के हाथों अपीलार्थियों का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में न पड़े।इस निर्देश का अर्थ किसी भी तरह से आधिकारिक प्रतिवादी को अपीलार्थियों के खिलाफ आगे बढ़ने से रोकने के लिए नहीं किया जाएगा, यदि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है।कानून अपना काम करेगा और यदि कानून में और उसके अनुसार आवश्यकता हो तो अपीलार्थियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अधिकारियों/जांच एजेंसी के लिए खुला रहेगा।"

(12) इस प्रकार, खण्ड पीठ ने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के पहलू पर सर्वोपरि विचार करने के बाद और इस मुद्दे पर विचार किए बिना कि पक्षकारों के बीच संबंध कानूनी थे या नहीं, इस तथ्य के बावजूद कि पक्षकारों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है ।

(13) इसे ध्यान में रखते हुए, यह कहे बिना चल सकता है कि जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा भारत के संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से, एक वयस्क, को किसी भी दर पर अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है, जब भी यह न्यायालय, प्रथम दृष्टया, संतुष्ट होता है कि कुछ रिश्तेदारों/व्यक्तियों के याचिकाकर्ताओं के बीच संबंधों से नाखुश होने के कारण याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता को नुकसान हो सकता है, और ऐसी परिस्थितियों में, अदालतों को उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश पारित करने की आवश्यकता होती है।

(14) उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं रिश्ते की वैधता पर कोई टिप्पणी किए बिना या मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय किए बिना, यह न्यायालय याचिका का निपटारा करना उचित समझता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश देते हुए यह कहता है की वह आवेदन दिनांक 16.08.2021 (अनुलग्नक पी-5) पर विचार करें तथा याचिकाकर्ताओं को खतरे की आशंका का आकलन करे। प्रतिवादी नंबर ३ विचार करने के बाद कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करे।

(15) तदनुसार, आपराधिक रिट याचिका का उपरोक्त निर्देशों के साथ निपटारा किया जाता है।

(16) हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश राज्य को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा, यदि वे किसी अन्य मामले में शामिल हैं।

डॉ. सुमती जुंद

---

**अस्वीकरण** :– स्थानीय भाषा में अनुवादी निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भासा में समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देश्य के लिए उपुक्त रहेगा।.

*अरुणा गुप्ता*